I/3067769/2023

Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA No.17/2023
GST Circular No. 03/2023

2016/AC-I1/01/06/CRIS New Delhi, dated: 17.05.2023

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Amendment to turnover threshold for e-invoicing under GST

Ref: (1)RBA No. 14/2022/GST Circular No. 48/2022 dated 30.09.2022
(2)RBA No. 17/2022/GST Circular No.03/2022 dated 09.03.2022
(3)RBA No. 19/2021/GST Circular No.015/2021 dated 09.03.2021
(4)RBA No. 94/2020/GST Circular No.50/2020 dated 17.12.2020
(5) RBA No. 78/2020/GST Circular No.44/2020 dated 08.10.2020

The circulars cited above brought out provisions under GST concerning applicability of e-invoicing along with the allied mechanism being followed in respect of inward supplies of Indian Railways (i.e. Business-to-Business supplies).Recently, Central Board of Indirect taxes and Customs vide Notification No. 10/2023 - Central Tax dated 10th May 2023, has further reduced the hitherto turnover threshold from **INR 10 Crores to INR 5 crores** for applicability of e-invoicing **with effect from 1st August 2023.**

Thus, pursuant to said amendment, **with effect from 1stAugust 2023**, all suppliers (i.e. registered persons under GST) of Indian Railways (excluding notified exempted categories) having aggregate turnover more than INR 5 crores in any preceding Financial Year from 2017-18 onwards, shall mandatorily issue e-invoice having QR Code embedding IRN and requisite particulars against all taxable supplies being made to Indian Railways.

Considering that any document issued by notified persons for e-invoicing becomes valid only with a QR Code (encompassing IRN and requisite particulars), the existing mechanism followed for e-invoicing such as obtaining declarations etc. needs to be followed for documents for inward supplies from suppliers falling under the revised applicability of e-invoicing with effect from 1stAugust 2023.

In line with the change in turnover limits concerning applicability for e-invoicing for notified persons, the adherence to e-invoice on documents (i.e., invoices, credit notes and debit notes) for inward supplies of Indian Railways over forthcoming tax periods needs to be verified as under:

- For documents **dated FY 2021-2022** that are received in instant FY or period thereafter:

I/3067769/2023

e-invoicing is applicable for suppliers having aggregate turnover more than INR 50 crores in any preceding FY starting from 2017-18.

- For documents **pertaining to FY 2022-23 and for the period 01st April 2022 to 30th September 2022**
 e-invoicing was made applicable for suppliers having aggregate turnover more than INR 20 croresin any preceding FY starting from 2017-18.

- For documents **pertaining to FY 2022-23 & 2023-24 for the period 01st October 2022 to 31st July 2023**
 e-invoicing is applicable for suppliers having aggregate turnover more than INR 10 crores in any preceding FY starting from 2017-18.

- For documents **pertaining to FY 2023-24 and for the period 01st August 2023 or thereafter**
 e-invoicing is applicable for suppliers having aggregate turnover more than INR 5 crores in any preceding FY starting from 2017-18.

Thus, the mechanism brought out vide RBA cited above may be followed accordingly. Additionally, the declarations concerning applicability of e-invoicing stands amended to incorporate revised turnover threshold.

CRIS may effectuate requisite modifications in various application groups such as IPAS, IREPS etc. in line with said amendment. All Zonal Railways/Production Units may issue necessary instructions to all concerned personnel in respect of aforementioned changes in law in consultation with their GST consultants and ensure compliance.

Signed by Vipul Tripathi
Date: 17-05-2023 15:18:59

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to: -

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
4. MD/IRFC
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS, GM/IRePS, CRIS.
6. Chief Executive Officer, Ministry of Commerce and Industry, Government eMarketplace,2" Floor, Jeevan Tara Building, Sansad Marg, New Delhi 110 001 with a request to give effect to the above in GeM portal as requested in Ministry of Railway's letter dated 27.11.2020, to ensure GST compliance.

I/3067769/2023

2017/एसी-II/1/6जीएसटीमेन/वॉल.IV

I/3067769/2023

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 17/2023

जीएसटी परिपत्र सं. 03/2023

2016/एसी-II/01/06/क्रिस

नई दिल्ली, दिनांक 17.05.2023

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: जीएसटी के अंतर्गत ई-बीजकीकरण के लिए टर्नओवर सीमा में संशोधन।

संदर्भ: (1) दिनांक 30.09.2022 का आरबीए सं. 14/2022/जीएसटी परिपत्र सं. 48/2022

(2) दिनांक 09.03.2022 का आरबीए सं. 17/2022/जीएसटी परिपत्र सं. 03/2022

(3) दिनांक 09.03.2021 का आरबीए सं. 19/2021/जीएसटी परिपत्र सं. 015/2021

(4) दिनांक 17.12.2020 का आरबीए सं. 94/2020/जीएसटी परिपत्र सं. 50/2020

(5) दिनांक 08.10.2020 का आरबीए सं. 78/2020/जीएसटी परिपत्र सं. 44/2020

भारतीय रेलों की आवक आपूर्तियों (अर्थात् बिजनेस-टू-बिजनेस आपूर्तियां) के संबंध में संबद्ध प्रक्रिया अपनाए जाने के साथ-साथ ई-बीजकीकरण की प्रयोज्यता के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत प्रावधान उक्त परिपत्रों द्वारा लाए गए थे। हाल ही में, दिनांक 10 मई, 2023 की अधिसूचना सं. 01/2023 -केंद्रीय कर के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 1 अगस्त 2023 से ई-बीजकीकरण की प्रयोज्यता के लिए अभी तक की 10 करोड़ रूपए की टर्नओवर सीमा को घटा कर 5 करोड़ रुपए कर दिया है।

इस प्रकार, उक्त संशोधन के अनुसरण में, दिनांक 1 अगस्त 2023 से, भारतीय रेल के सभी आपूर्तिकर्ता (अर्थात् जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति) (अधिसूचित छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर) जिनका वर्ष 2017-18 से किसी भी पिछले वित्त वर्ष में कुल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है,

वे आईआरएन अंतर्निहित क्यूआर कोड और भारतीय रेल को की गई सभी कर योग्य आपूर्तियों के संबंध में अपेक्षित विवरणों के साथ ई-बीजक अनिवार्य रूप से जारी करेंगे।

यह ध्यान में रखते हुए कि अधिसूचित व्यक्ति द्वारा ई-बीजकीकरण के लिए जारी कोई भी दस्तावेज़ केवल क्यूआर कोड (आईआरएन तथा अपेक्षित विवरण के साथ) के साथ ही वैध होता है, ई-बीजकीकरण के लिए पालन की जा रही मौजूदा प्रक्रिया का यथा घोषणापत्र आदि प्राप्त करना, दिनांक 1 अगस्त 2023 से प्रभावी ई-बीजकीकरण की संशोधित अनुप्रयोज्यता के अंतर्गत आने वाली आवक आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं से दस्तावेज़ों के लिए अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है।

अधिसूचित व्यक्तियों के लिए ई-बीजकीकरण की प्रयोज्यता संबंधी टर्नओवर सीमाओं में परिवर्तन की तर्ज पर, दस्तावेज़ों (अर्थात् बीजक, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट) पर भारतीय रेलों की आवक आपूर्तियों के लिए आने वाली कर अवधियों के लिए ई-बीजक का पालन निम्नानुसार सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है:

- वित्त वर्ष 2021-22 के दस्तावेज़ जो उसी वित्त वर्ष या उसके बाद की अवधि में प्राप्त हुए, के लिए :

 ई-बीजकीकरण उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होगा जिनका कुल टर्नओवर 2017-18 से शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपए से अधिक है।
- वित्त वर्ष 2022-23 और 01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 की अवधि के दस्तावेज़ों के लिए:

 ई-बीजकीकरण उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू किया गया था जिनका कुल टर्नओवर 2017-18 से शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए से अधिक था।
- वित्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 के लिए 01 अक्टूबर 2022 से 31 जुलाई 2023 की अवधि के दस्तावेज़ों के लिए:

 ई-बीजकीकरण उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू है जिनका कुल टर्नओवर 2017-18 से शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक है।
- वित्त वर्ष 2023-2024 और 01 अगस्त 2023 या उसके बाद की अवधि के दस्तावेज़ों के लिए:

 ई-बीजकीकरण उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू है जिनका कुल टर्नओवर 2017-18 से शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए से अधिक है।

इस प्रकार, उक्त आरबीए के तहत बताई गई प्रक्रिया का तदनुसार अनुसरण किया जाए। इसके अतिरिक्त, संशोधित टर्नओवर सीमा को समाविष्ट करने के लिए ई-बीजकीकरण की प्रयोज्यता संबंधी घोषणापत्र संशोधित किया गया है।

क्रिस, उक्त संशोधन की तर्ज पर आईपीएएस, आईआरईपीएस आदि विभिन्न एप्लीकेशन ग्रुपों में अपेक्षित आशोधनों को कार्यान्वित करें। सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से सभी संबंधित व्यक्तियों को ऊपर उल्लिखित कानून में बदलावों के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: -

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी।
5. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, महाप्रबंधक/ आईआरईपीएस, क्रिस।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, द्वितीय तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001. [जीएसटी अनुपालन सुनिशचित करने के लिए, रेल मंत्रालय के दिनांक 27.11.2020 के पत्र में अनुरोध किए गए अनुसार उपरोक्त को जीईएम पोर्टल में प्रभावी करने के अनुरोध के साथ।]